21/8/3 पत्रावली पेश हुई। वकील/ उभयपक्ष हाजिर। पीठासीन अधिकारी आज अन्य कार्य में व्यस्त है। पत्रावली पूर्वादेशानुसार दिनांक 27/8/3 को पेश हो।

27/8/3 पत्रावली पेश हुई। वकील/ उभयपक्ष हाजिर। पीठासीन अधिकारी आज अन्य कार्य में व्यस्त है। पत्रावली पूर्वादेशानुसार दिनांक 6/10/3 को पेश हो।

6/10/3 पत्रावली पेश हुई। आज अभिभाषकगण ने कार्य स्थगित कर रखा है। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 18/11/3 को पेश है।

18/11/3 पत्रावली पेश। अधि. उभयपक्ष हाजिर। अधि. अपीलार्थी ने बहस हेतु अवसर चाहा। अधि. प्रार्थी द्वारा जवाब हेतु अवसर देने पर आपत्ति पेश की गई। बहस हेतु पूर्व में काफी अवसर दिये जा चुके है, बहस आगे बन्द किया जाता है। बहस अधि. उभयपक्ष सुनी गई। बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन किया गया। बहस अधि. प्रार्थी मुख्यतः आगे न होने तथा अधि. अप्रार्थीगण द्वारा आगे न लाये साक्ष्यों का खण्डन किया गया। प्रार्थी के हित का निर्धारण मुख्य रूप से साक्ष्यों व तथ्यों के आधार पर किया जाता है। धारा 202 विवादित भूमि के मौके व रिकार्ड की स्थिति में परिवर्तन करने पर प्रार्थी के हित प्रभावित हो सकते है अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी को स्वीकार किया जाता है तथा अपीलार्थीगण को आदेश दिया जाता है कि वे विवादित भूमि ख.नं. 333 रकबा 3.86 हैक्टर वाकेग्राम कटराथल तहसील बाड़मेर की भूमि पर मौके व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे। 147/2008 एक व नकल रिकार्ड पत्रावली कैद्दल खाना होकर नम्बर सेकण्ड है, दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज मेरे हस्ताक्षर से सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी, सीकर